राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपीडी/टी.ए./482/2005/हनुमानगढ

1– शंकरलाल पुत्र मेघाराम
2– विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप
समस्त जाति चमार, निवासी केरावाली, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)

.....अपीलार्थी

बनाम

1– जैतरुप पुत्र चन्द्रा, जाति मेघवंशी, निवासी ग्राम दलपतपुरा, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
2– घडसीराम पुत्र मेघाराम
3– गोपीराम पुत्र मेघाराम
4– परमेश्वरी पत्नी रामप्रताप
5– फूली पुत्री रामप्रताप
6– चन्द्रकला पुत्री रामप्रताप
7– रामकुमार पुत्र मेघाराम
8– सन्तोदेवी पुत्री मेघाराम
9– गुड्डी पुत्री मेघाराम
10– गिरदावरी पुत्री मेघाराम
समस्त जाति चमार, निवासी केरावाली, तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
11– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नोहर (राजस्व), हनुमानगढ।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ

श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री समीर अहमद, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 18.09.2019

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 167/2002/223 शीर्षक 'जैतरुप बनाम मु0 भागा वगैरा' में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–01–2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 संख्या 2 व 3 की माता मु0 भागा ने एक राजस्व वाद प्रतिवादी/वर्तमान रैस्पो0

संख्या–1 जैतरुप के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष वादपत्र के मद संख्या–1 में सजरा अंकित करते हुये इस आशय का पेश किया कि रौही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 549/208 की रकबा 46 बीघा 6 बिस्वा, 554/200 की रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 60 बीघा 17 बिस्वा का बेगा वल्द चैला जाति चमार पिता वादिया खातेदार काश्तकार था। बेगा का देहान्त सन् 1957 में हुआ और चन्द्रा पिता प्रतिवादी का देहान्त सन् 1947 में हुआ तथा हजारी का देहान्त कुछ समय पूर्व ही हुआ है। बेगा व उसकी पत्नी का देहान्त होने से वादिया उसकी पुत्री होने से एकमात्र जायज व कानूनी वारिस है। पैमाइश में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 422/59 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता में परिवर्तित हुई है। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी का इंतकाल अपने नाम करा लिया है। वादपत्र में अनुतोष चाहा कि दावा वादी डिक्री किया जा कर खसरा नम्बर 422/59 बीघा 18 बिस्वा का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा, वादीया की उक्त भूमि में मजाहमत, मदाख्लत नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाये। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत किया कि चेलाराम के तीन पुत्र बेगाराम, सुणांराम, चन्द्राराम हुए। सुणांराम सम्वत् 1990 में ही संयुक्त परिवार को भंग कर अलग हो गया और बेगाराम व चन्द्राराम साथ रहे। बेगाराम सम्वत् 2002 में सुबह व चन्द्राराम सम्वत् 2002 में उसी दिन शाम को फौत हुए। बीकानेर स्टेट टिनेन्सी एक्ट की धारा 22 के मुताबिक पुरुष उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी को हक प्राप्त हुये और वादिया को किसी प्रकार के हक नहीं रहे हैं। वादिया ने स्वयं ने अपने पिता को सन् 1947 में फौत होना अपने हलफनामे में माना है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–12–2002 से दावा वादी डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा दिनांक 10–01–2005 के निर्णय से अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया। जिसके विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील मूल वाद के वादीया के वारिसान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजीयात चेलाराम के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी और चेलाराम के तीन पुत्र बेगाराम, सुणांराम, चन्द्राराम हुए। सन् 1957 में बेगाराम व चन्द्राराम फौत हुये और प्रति0 जैतरुप ने अपने पिता चन्द्राराम की भूमि का विरसतन 1958 में नामांतरकरण अपने नाम दर्ज करा लिया और इसके साथ ही बेगाराम की भूमि का भी अपने पक्ष में नामांतरकरण दर्ज करा लिया। सन् 1957 तक ये भूमि बेगाराम के नाम चलती रही और बेगाराम काश्त करते रहे हैं। बेगाराम की एकमात्र वारिसान मु0 भाग पुत्री बेगाराम रही है। प्रकरण में विधिवत रुप से सहायक कलक्टर, नोहर ने तनकीवार विवेचन करते हुये निर्णय दिनांक 20–12–2002 से वाद को डिक्री किया था किन्तु अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से आदेश 41 नियम 31, जाप्ता दीवानी की प्रावधानों की पालना किये बिना ही परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि बेगाराम की मृत्यु सन् 1957 में हुई है और सम्वत् 2012–15 की खसरा गिरदावरी में बेगाराम की काश्त के अंकन हैं। अतः स्पष्ट है कि बीकानेर टिनैन्सी एक्ट, 1945 के प्रावधानों के समय बेगाराम जिन्दा थे। यदि प्रतिवादी के कथन अनुसार बेगाराम को 1947 में फौत होना माना जाये तो फिर बेगाराम

की आराजी का प्रतिवादी ने अपने पक्ष में इंतकाल 1947 के तुरन्त बाद नहीं करवा कर 1958 में करीब 11 वर्ष के लम्बे समय बाद क्यों करवाया। बीकानेर टिनैन्सी एक्ट, 1945 के प्रावधानों को प्रतिवादी ने उल्लेखित किया है तो फिर बेगाराम के भाई सुणाराम के पुत्र हजारी को आराजी क्यों नहीं मिली। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी जैतरुप के द्वारा साजिश कर आराजी को अपने अकेले के नाम दर्ज करवाया गया है, जब कि आराजी बेगाराम की वारिस, वर्तमान अपीलार्थीगण की माता मु0 भाग के हिस्से में आनी चाहिए थी। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने विधिसम्मत रुप से अपना निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं रही है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य को विवेचित करते हुये जो निर्णय पारित किया है उसे निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाये।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि बेगाराम पुत्र चेलाराम की खातेदारी की होना स्वीकृत तथ्य है। बेगाराम के कोई पुरुष वारिस नहीं था और बेगाराम व चन्द्राराम एक ही परिवार में रहते थे। मु0 भाग बेगाराम की पुत्री रही है। बेगाराम सन् 1947 में फौत हो गया था और बीकानेर टिनेन्सी एक्ट, 1945 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार फीमेल उत्तराधिकारी की श्रेणी में नही आने से, प्रतिवादी जैतरुप ही उसका वारिस हुआ और इसी आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरकरण स्वीकृत किया गया। वादिया का प्रश्नगत आराजी पर कभी किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहा। वादिया ने अपने हलफनामे में भी इस बात को स्वीकार किया है कि बेगाराम सन् 1947 में फौत हो गया था, अतः वादिया अपने कथनों से एस्टोप्ड है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने अविधिक रुप से वादिया के वाद को डिक्री किया था और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा प्रतिवादी की अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बीकानेर टिनेन्सी एक्ट, 1945 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी को अधिकार प्राप्त होना माना है जो उचित है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाए।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में वादी–अपीलार्थी पक्ष की ओर से अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया उसमें मुख्य रुप से यही अंकित किया गया कि खातेदार चेलाराम के तीन पुत्र बेगाराम, सुणांराम, चन्द्राराम हुए। बेगाराम का देहान्त सन् 1957 में हुआ और चन्द्रा पिता प्रतिवादी का देहान्त सन् 1947 में हुआ तथा हजारी का देहान्त कुछ समय पूर्व ही हुआ है। बेगा व उसकी पत्नी का देहान्त होने से वादिया उसकी पुत्री होने से एकमात्र जायज व कानूनी वारिस है, जब कि प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी का इंतकाल अपने नाम गलत प्रकार से करा लिया है। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत किया और इस तथ्य को स्वीकार किया कि चेलाराम के तीन पुत्र बेगाराम, सुणांराम, चन्द्राराम हुए। बेगाराम सम्वत् 2002 में सुबह व चन्द्राराम सम्वत् 2002 में उसी दिन शाम को फौत हुए। बीकानेर स्टेट टिनेन्सी एक्ट की धारा 22 के मुताबिक पुरुष उत्तराधिकारी होने से प्रतिवादी को हक प्राप्त हुये और वादिया को किसी प्रकार के हक नहीं रहे हैं।

8– प्रकरण के तथ्यों के अनुसार जो मुख्य विवाद बिन्दु है वह यही है कि आया बेगाराम सन् 1946–47 में फौत हुआ है या वादी के वादपत्र के कथनानुसार बेगाराम की मृत्यु सन् 1957 में हुई है? और उस वक्त के कानून के मुताबिक आराजी प्रतिवादी के नाम सही प्रकार से दर्ज हुई है? परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उलपब्ध प्रदर्श डी–7 नोटेरी पब्लिक का दस्तावेज शीर्षक "नोटेरियल रजिस्टर नं. 35 पेज नं. 235 क्रम संख्या 106 दिनांक 07–02–2002 बाबत् शपथ पत्र द्वारा श्रीमती भागा पुत्री स्व0 श्री बेंगाराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तह0 नोहर जिला हनुमानगढ" के कॉलम संख्या–5 में अंकित किया गया है "नकल शपथ पत्र – मन के भागा पुत्री श्री बेगाराम जाति मेघवाल (बउम्र 80 वर्ष) निवासी दलपतपुरा तह0 नोहर जिला हनुमानगढ (राज0) की हूॅ। 1. मैं हलफन बयान करती हूॅ कि मुझ सिकरा के पिता बेगाराम पुत्र चोला राम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा का देहान्त दिनांक 3–6–1974 को हो चुका था जिनकी मृत्यु के बाद उनके जायज एवं कानूनी वारिस है।" इस दस्तावेज की पुष्टि इससे भी होती है कि मौखिक साक्ष्य में पी0ड01 में वादिया मागा पुत्री बेगाराम की साक्ष्य है जो अपने बयानों में कथन करती है कि "यह सही है कि मैने दिनांक 7–2–2002 को एक हलफनामा हनुमान सिंह नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया था और उसमें मेरे बाप की सन् 47 में फौत होना बताया था।" अपनी साक्ष्य में आगे अंकित कराया है "यह बात सही है कि बेगा व चन्द्रा रोलावाली साल से एक साल पहले मेर थे"। इस प्रकार साबित हो जाता है कि वादिया के पिता बेगा की मृत्यु वादिया के वादपत्र के कथनों के अनुसार 1957 में होना साबित नहीं होता है बल्कि वादिया की स्वयं की साक्ष्य के अनुसार बेगा की मृत्यु वर्ष 1946–47 में होना साबित होता है। वादिया के स्वयं के कथनों के अनुसार आराजी पर कब्जा काश्त भी प्रतिवादी जैतरुप का होने की पुष्टि होती है। वादिया अपने कथनों के विपरीत नहीं जा सकती है और वह अपने कथनो से पूर्णतया "एस्टोप्ड" है। अब प्रकरण में मुख्य रुप से तय करने योग्य बिन्दु यही है कि तत्कालीन कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी जैतरुप के पक्ष में बेगा की आराजी का अंकन सही प्रकार से किया गया है या नहीं। इस सम्बन्ध में बीकानेर स्टेट, टिनैन्सी एक्ट, 1945 की धारा 22 के प्रावधान इस प्रकार से हैंः–

22. **(1)** When a tenant, having a right of occupancy in any land dies, the right shall devolve -

(a) on his male lineal descendants, if any, in the male line of descent;

(b) failing such descendants, on his widow, if any, until she dies or remarries or abandons the land or is under the provisions of this Act ejected therefrom;

(c) failing such descendants and widow, on his widowed mother, if any, until she dies or remarries or abandons the land or is under the provisions of this Act ejected therefrom, and

(d) failing such descendants and widow or widowed mother or if the deceased tenant left a widow or widowed mother, when her interest terminates under clause (b) or (c) of this sub-section on :-

(i) his male collateral relatives in the male line of descent upto the seventh generation of relationship from the deceased,

(ii) failing such descendants on his male collateral relatives in the male line of descent from the common ancestor of the deceased tenant and those relatives,

Proveded that the common ancestor occupied the land.

9– जो सजरा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिस पर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद भी नहीं है उसके अनुसार स्पष्ट है कि खातेदार चेलाराम के तीन पुत्र बेगाराम, सुणांराम, चन्द्राराम हुए, जिनमें बेगाराम की पुत्री मु0 भागा (वादिया) रही और चन्द्रा का पुत्र जैतरुप (प्रतिवादी) रहा। बेगाराम जब फौत हुआ उस समय बीकानेर टिनेन्सी एक्ट, 1945 के प्रावधान लागू थे और उपरोक्त उद्धरित किए गए बीकानेर टिनेन्सी एक्ट, 1945 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार तत्कालीन समय में लडकियों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में रिकार्ड के विपरीत जाते हुये इसे वादी के पक्ष में तय किया है जब कि प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी के कब्जे काश्त में राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया साबित है। तत्कालीन प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में आराजीयात को अंकित किया गया है, अतः वादिया प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने की अधिकारिणी नहीं है और ना ही वह आराजी पर किसी प्रकार की टीनैण्ट साबित होती है। अतः तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय भी परीक्षण न्यायालय द्वारा अविधिक रुप से किया गया है। इसी प्रकार से प्रकरण में जो शेष तनकियात कायम की गई हैं वे भी रिकार्ड व कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाते हुये वादिया के पक्ष में तय की गई हैं, जबकि उपरोक्त विववेचन के परिप्रेक्ष्य में व बीकानेर टिनेन्सी एक्ट, 1945 की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में सही प्रकार से अंकन किए गए हैं और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा जैतरुप के पक्ष में किए गए राजस्व रिकार्ड के अंकनों को, अपने निर्णय में, उचित मानने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों की प्रथम अपीलीय न्यायालय के स्तर पर पर अनुपालना नहीं करने का आक्षेप लिया है तो आर.आर.डी. 1984 पेज 529 (डीबी) में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जहॉ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निहित विवाद बिन्दुओं को स्पष्टतया समझते हुये तय किया गया है, वहॉ आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के बारे में आपत्ति नहीं की जा सकती है चाहे निर्णय पलटा क्यों नहीं गया हो। प्रकरण में निहित तथ्यों व विधिक प्रावधानों को देखते हुये हमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता होना प्रतीत नहीं होता है।

8– फलतः हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य